

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3037

जिसका उत्तर 16 दिसंबर, 2021 को दिया जाना है।

विद्युत अवसंरचना की स्थिति

3037. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:

श्री भोला सिंह:

डॉ. जयंत कुमार राय:

श्री राजा अमरेश्वर नाईक:

श्री विनोद कुमार सोनकर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सभी विद्युत योजनाओं की निगरानी के लिए जिला स्तरीय समितियां गठित की हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त समितियों के उद्देश्य, संरचना, कार्य इत्यादि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) जन प्रतिनिधियों की भूमिका का ब्यौरा क्या है;

(घ) गठित की गई समिति, आयोजित की गई बैठकों और उनके परिणामों का जिले-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उक्त समितियां जनता के लिए विद्युत सेवाओं के प्रावधान पर पड़ने वाले प्रभाव पर भी विचार करेंगी;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार ने जिला स्तर पर विद्युत अवसंरचना की स्थिति का कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) सरकार द्वारा जिला स्तर पर विद्युत व्यवस्था में चुनौतियों का सामना करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (च) : विद्युत मंत्रालय ने जिला स्तरीय समितियां गठित करने के लिए दिनांक 16.09.2021 को एक आदेश जारी किया था जो भारत सरकार की सभी विद्युत संबंधी स्कीमों की निगरानी करेंगी। ये समितियां लोगों की सेवाओं के प्रावधान पर इनके प्रभाव की निगरानी भी करेंगी।

समिति का संघटन निम्नानुसार होगा:

(क)	जिले का वरिष्ठतम संसद सदस्य	अध्यक्ष
(ख)	जिले के अन्य संसद सदस्य	सह-अध्यक्ष
(ग)	जिलाधिकारी	सदस्य सचिव

(घ)	जिला पंचायत का अध्यक्ष/सभापति	सदस्य
(ङ)	जिले के विधायक	सदस्य
(च)	संबंधित जिले में स्थित विद्युत मंत्रालय तथा एनआरई के सीपीएसयूज के वरिष्ठतम प्रतिनिधि, अथवा जिले के लिए उनके नामित अधिकारी	सदस्य
(छ)	संबंधित डिस्कॉम/विद्युत विभाग का मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता	संयोजक

समिति, सरकार की स्कीमों के अनुरूप, जिले में विद्युत आपूर्ति अवसंरचना के समग्र विकास की समीक्षा और समन्वय के लिए जिला मुख्यालय में कम-से-कम तीन महीने में एक बार बैठक आयोजित करेगी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित पहलुओं को शामिल किया जाएगा: -

- भारत सरकार की सभी स्कीमों (विद्युत संबंधी), उनकी प्रगति और गुणवत्ता मुद्दों सहित।
- नियमित प्रचालनों तथा नेटवर्क के अनुरक्षण सहित उप-पारेषण और वितरण नेटवर्क का विकास - उन अतिरिक्त क्षेत्रों को चिह्नित करना जहां सुदृढीकरण की आवश्यकता है।
- कार्यों का विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता पर प्रभाव।
- कार्य-निष्पादन और उपभोक्ताओं सेवाओं/आपूर्ति की गुणवत्ता के मानक।
- शिकायतें और शिकायत निपटान तंत्र।
- कोई अन्य संबंधित मामला।

यह संयोजक और सदस्य सचिव का उत्तरदायित्व होगा कि वे नियमित आधार पर बैठकें संचालित करें और समय से बैठकों के कार्यवृत्त जारी करें। राज्यों से इन जिला विद्युत समितियों को अधिसूचित करने और इनकी स्थापना सुनिश्चित करने को कहा गया है। अभी तक, ऐसी सूचना दी जाती है कि उत्तर प्रदेश, झारखंड और ओडिशा राज्यों ने समितियों का गठन अधिसूचित किया है।

(छ) और (ज) : जिला स्तर सहित विद्युत अवसंरचना की स्थिति का कोई मूल्यांकन संचालित करने का प्राथमिक उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकारों/विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) का होता है।

राज्यों की विद्युत अवसंरचना की आवश्यकताओं के अनुपूरण के लिए, विद्युत मंत्रालय ने 3,03,758 करोड़ रुपये के परिव्यय और केंद्र सरकार से 97,631 करोड़ रुपये की अनुमानित सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) से दिनांक 20.07.2021 को 'संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम - (आरडीएसएस) अधिसूचित की है। इस स्कीम में आपूर्ति अवसंरचना के सुदृढीकरण के लिए डिस्कॉमों को सशर्त वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए निजी डिस्कॉमों को छोड़कर सभी डिस्कॉमों/विद्युत विभागों की प्रचालनात्मक दक्षता और वित्तीय स्थिरता में सुधार और प्रीपेड मोड में स्मार्ट मीटरों की संस्थापना का प्रयास किया जाता है। स्कीम का उद्देश्य वर्ष 2024-25 तक एटीएंडसी हानियों को 12-15% के अखिल भारतीय स्तरों तक कम करना और एसीएस-एआरआर अंतर को शून्य तक करना है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3043

जिसका उत्तर 16 दिसंबर, 2021 को दिया जाना है।

जल विद्युत संबंधी सरकारी उपक्रमों द्वारा बिजली उत्पादन

3043. श्री सुशील कुमार सिंह:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) जल विद्युत का उत्पादन करने वाली सभी सरकारी कंपनियों द्वारा वर्ष 2019-20 और 2020-21 में बिजली उत्पादन के आंकड़ों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) उक्त वर्ष के दौरान उक्त पीएसयू की आकस्मिक देयता का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक सरकार के अधीन जल विद्युत पीएसयू के विरुद्ध गए माध्यस्त पंचाटों की वर्ष-वार सूची का ब्यौरा क्या है;
- (घ) जल विद्युत पीएसयू के लिए पिछले वित्तीय वर्षों हेतु मूल करार के मूल्य की तुलना में दर्ज किए गए माध्यस्त दावों और दिए गए पंचाटों का ब्यौरा क्या है;
- (ङ) क्या मध्यस्थ में प्रतिकूल निर्णय से बिजली की लागत में वृद्धि हुई है; और
- (च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) : वर्ष 2019-20 और वर्ष 2020-21 में विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत कंपनियों द्वारा जल विद्युत उत्पादन के ब्यौरे मिलियन यूनिट (एमयू) में नीचे दिए गए हैं:

यूटिलिटी का नाम	उत्पादन (एमयू में)	
	2019-20	2020-21
बीबीएमबी	12175.65	11482.05
एनएचपीसी	26121	24471
टीएचडीसी	4526.84	4565.38

एसजेवीएन	9678	9224
डीवीसी	202.45	376.81
नीपको	3156.25	3881.68
एनटीपीसी	3449.6	3221.4
कुल	59309.79	57222.32

(ख) : वर्ष 2019-20 और वर्ष 2020-21 की अवधि के दौरान प्रत्येक पीएसयू की आकस्मिक देयता नीचे दी गई है:

यूटिलिटी का नाम	आकस्मिक देयता (करोड़ रुपये में)	
	वित्तीय वर्ष 2019-20 दिनांक 31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार	वित्तीय वर्ष 2020-21 दिनांक 31.03.2021 तक की स्थिति के अनुसार
एनएचपीसी	11515.11	11040.62
टीएचडीसी	4111.12	4830.91
एसजेवीएन	792.69	774.99
नीपको	2030.18	2062.41
एनटीपीसी	5285.28	5792.60
बीबीएमबी	शून्य	शून्य
डीवीसी	शून्य	शून्य
कुल	23734.38	24501.53

(ग) : वर्ष 2018-19 से वर्ष 2020-21 तक जलविद्युत परियोजनाओं से संबंधित मध्यस्थता अवार्डों के सीपीएसयू-वार ब्यौरे अनुबंध-I में दिए गए हैं।

(घ) : जल-विद्युत परियोजनाओं में पिछले वित्तीय वर्ष के लिए मूल संविदा के मूल्य की तुलना में दायर किए गए मध्यस्थता दावों और अवार्ड के ब्यौरे अनुबंध-II में दिए गए हैं।

(ङ) और (च) : जलविद्युत परियोजनाओं पर किए गए कोई भी अतिरिक्त व्यय से विद्युत लागत में वृद्धि होती है जब तक कि इसको समुचित विनियामक आयोग द्वारा अस्वीकार नहीं किया जाता है।

अनुबंध-1

लोक सभा में दिनांक 16.12.2021 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3043 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

वर्ष 2018-19 के दौरान मध्यस्थता अधिकरण द्वारा अवाई किए गए दावों का ब्यौरा

क्रम सं.	जल विद्युत सीपीएसयू का नाम	कार्य का विवरण	दावा की गई राशि (करोड़ रुपये में)	अवाई की गई राशि (करोड़ रुपये में)
1	टीएचडीसी	टीएचडीसी/ आरकेएसएच/ सीडी-198/ एजी दिनांक 03.03.06 (अनुबंध मूल्य - 47.37 करोड़ रुपये (आपूर्ति) + 08.03 करोड़ रुपये (सेवाएं) कोटेश्वर एचईपी के गेट और होइस्ट का काम	15.23 + ब्याज	7.26 (अवाई की तिथि तक ब्याज सहित) + भावी ब्याज
2	एसजेवीएन	खिरवीरे पवन ऊर्जा परियोजना के संबंध में एलडी और अन्य मुद्दे। (अवाई प्राप्ति की तिथि - 01.06.18)	80.03	28.42
3	नीपको	405 मेगावाट रंगनाडी एचईपी की मुख्य सुरंग के निर्माण से संबंधित दावा	12.80	3.88
		405 मेगावाट रंगनाडी एचईपी के कंक्रीट डायवर्जन बांध के निर्माण से संबंधित दावे	27.82	4.55
		75 मेगावाट की दोगांग जल विद्युत परियोजना की डायवर्जन टनल के निर्माण से संबंधित दावा	14.81	0.55
4	एनएचपीसी	चमेरा-III - (मामला-1)	195.34	27.21
		अंडमान एवं निकोबार - (ब्रिज एवं बिल्डिंग)	13.80	3.39
		पारबती-II - (हिमाचल जेवी)	316.70	157.64
		टीएलडीपी-III - (मामला-5)	44.07	3.89
		पारबती-III - (मामला-2)	433.28	126.25
		टीएलडीपी-IV - (मामला-4)	229.33	83.49
		ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य, ओडिशा - (रायगढ़ पैकेज -1)	24.28	5.31
		टीएलडीपी-III - (मामला-6)	107.70	64.88
		उरी-II	9.98	3.43
		ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य, ओडिशा- (बौध जिला)	33.50	14.45
5	एनटीपीसी	ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य, ओडिशा (रायगढ़ पैकेज-3)	15.22	2.45
		टीएलडीपी-III - (मामला-8)	307.91	101.12
		लोहारीनाग-पला - 33 केवी सब-स्टेशन	6.51	0.38
		तपोवन-विष्णुगाड- हेड रेस टनल, मामला 1	251.19	32.98
		तपोवन- विष्णुगाड - लैंड डेवलपमेंट	5.85	1.34
		कोल्डैम- डैम, (संदर्भ - 3)	287.46	168.69
		कोल्डैम - पेनस्टॉक और पावर हाउस पैकेज, संदर्भ - 1	62.14	24.32
		कुल	2494.95	865.88

वर्ष 2019-20 के दौरान मध्यस्थता अधिकरण द्वारा अवाई किए गए दावों का ब्यौरा

क्रम सं.	जल विद्युत सीपीएसयू का नाम	कार्य का विवरण	दावा की गई राशि (करोड़ रुपये में)	अवाई की गई राशि (करोड़ रुपये में)
----------	----------------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

1	नीपको	मेक-अप वाटर सिस्टम के निर्माण से संबंधित दावे, पैकेज- III, 291 मेगावाट असम गैस आधारित विद्युत परियोजना।	5.16	0.70
		75 मेगावाट के डोयांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के इम्पेरेवियस कोर फिल के साथ रॉक फिल डैम के निर्माण से संबंधित दावे	23.80	4.59
2	एनएचपीसी	तीस्ता-V - (मामला-4)	18.91	45.00
		पारबती-II - (मामला-1)	384.37	218.96
		टीएलडीपी-III - (मामला-7)	194.91	133.20
		दुलहस्ती- (मामला-2)	360.56	60.00
		किशनगंगा - (मामला-1)	251.36	163.55
		ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य, कठुआ	26.72	10.12
		ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य, ऊधमपुर	41.72	14.24
3	एनटीपीसी	तपोवन-विष्णुगाड - बैराज और डि-सिल्टिंग चेंबर (बैलेंस वर्क), मामला-2	76.30	53.28
		लोहारीनाग-पाला - पेन स्टॉक एंड पावर हाउस, मामला-2	235.04	31.24
		कोलडैम - डैम, (संदर्भ-2)	164.43	26.55
		कुल	1783.28	761.43

वर्ष 2020-21 के दौरान मध्यस्थता अधिकरण द्वारा अवाई किए गए दावों का ब्यौरा

क्रम सं.	जल विद्युत सीपीएसयू का नाम	कार्य का विवरण	दावा की गई राशि (करोड़ रुपये में)	अवाई की गई राशि (करोड़ रुपये में)
1	टीएचडीसी	टीएचडीसी/आरकेएसएच/सीडी-197/एजी दिनांक 14.11.02 (अनुबंध मूल्य- 334.52 करोड़ रुपये)	63.76 करोड़ रुपये + ब्याज	29.03 + भावी ब्याज
		1/टीडीसी-1/1981-82 दिनांक 23.11.1981 (अनुबंध मूल्य- 31.54 करोड़ रुपये)	9.176 करोड़ रुपये + ब्याज	5.78 करोड़ रुपये + ब्याज
2	एसजेवीएन	एनजेएचपीएस के अनुबंध 3.0 की उत्पादकता हानि का दावा। (अवाई प्राप्ति की तिथि - 27.10.20)	161.90	417.18
		एसजेवीएन लिमिटेड और मैसर्स बीएचईएल के बीच एएमआरसीडी समिति द्वारा रामपुर हाइड्रो पावर स्टेशन 412 मेगावाट के इलेक्ट्रो-मैकेनिकल कार्य की खरीद के लिए लिक्विडेटेड डैमेज (एलडी)।	8.80	4.37
3	एनएचपीसी	सेवा-II	134.04	150.55
		तीस्ता-V - (मामला-3)	77.46	168.78
		कुल	455.136	775.69

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 16.12.2021 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 3043 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

(करोड़ रुपये)

वर्ष 2020-21

क्रम सं.	सीपीएसयूज का नाम	अनुबंध	अनुबंध राशि	मूल दावा राशि	अवार्ड राशि
1		नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन के अनुबंध 3.0 का उत्पादकता हानि दावा। (अवार्ड प्राप्ति की तिथि - 27.10.20)।	475.01	161.90	417.18
2	एसजेवीएन	एसजेवीएन लिमिटेड और मैसर्स भेल के बीच एएमआरसीडी समिति द्वारा रामपुर हाइड्रो पावर स्टेशन 412 मेगावाट के इलेक्ट्रो-मैकेनिकल कार्य की खरीद के लिए लिक्विडेटेड डैमेज (एलडी)।	535.65 करोड़ रुपये + यूरो 15.5 मिलियन	8.80	4.37
3	एनएचपीसी	सेवा-II	196.51	134.04	150.55
		तीस्ता-V - (मामला-3)	394.64	77.46	168.78
4	टीएचडीसी	टीएचडीसी/आरकेएसएच/सीडी-197/एजी दिनांक 14.11.02	334.52	63.76	29.03
		1/टीडीसी-1/1981-82 दिनांक 23.11.1981	31.54	9.176	5.78
		कुल	1967.87	455.14	775.69

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3059

जिसका उत्तर 16 दिसंबर, 2021 को दिया जाना है।

कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्र

3059. श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों की राज्य-वार कुल स्थापित क्षमता कितनी है;

(ख) कुछ विद्युत संयंत्रों के 22 दिनों के निर्धारित मानक कोयला स्टॉक नहीं रखने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा कोयले की आपूर्ति में बार-बार होने वाले संकट से बचने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) : दिनांक 31.10.2021 तक की स्थिति के अनुसार, कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों की राज्य-वार संस्थापित क्षमता के ब्यौरे अनुबंध में दिए गए हैं।

(ख) : अप्रैल-नवंबर, 2021 के दौरान, विद्युत संयंत्र पर्याप्त कोयला भंडार बनाए रखने में सक्षम नहीं थे क्योंकि देश में कोयला आधारित विद्युत उत्पादन आर्थिक गतिविधियों के पुनः शुरु होने के कारण विगत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लगभग 16% बढ़ गया था। इसके अलावा, घरेलू कोयले की आपूर्ति भारी बारिश, जो अक्टूबर, 2021 के पहले सप्ताह तक जारी रही, के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आयातित कोयले के मूल्यों में वृद्धि, जिसके कारण ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा कोयले का कम आयात किया गया, जैसे कारणों के कारण बाधित हुई। अप्रैल-जून, 2021 में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण, उत्पादन और उपस्कर व्यवस्थाएं भी प्रभावित हुई थीं, क्योंकि बड़ी संख्या में जनशक्ति संक्रमित हो गई थी।

(ग) : सरकार ने विद्युत संयंत्रों को कोयला आपूर्ति बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- (i) विद्युत क्षेत्र को कोयला आपूर्ति के मुद्दों का समाधान करने के लिए, विद्युत, कोयला, रेल मंत्रालयों केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) के प्रतिनिधियों को मिलाकर बना अंतर-मंत्रालयी उप समूह ताप विद्युत संयंत्रों

(टीपीपी) को कोयला की आपूर्ति को बढ़ाने के साथ-साथ विद्युत संयंत्रों में कोयला भंडारण की गंभीर स्थिति को कम करने सहित विद्युत क्षेत्र से संबंधित किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए विभिन्न प्रचालन संबंधी निर्णय लेने के लिए नियमित बैठकें करता है।

- (ii) विद्युत मंत्रालय ने टीपीपी में कोयले के भंडारों की गहन निगरानी सुनिश्चित करने के लिए विद्युत मंत्रालय, रेलवे, सीईए, सीआईएल, एनटीपीसी, डीवीसी और पोसोको के सदस्यों के साथ एक कोर प्रबंधन दल (सीएमटी) का गठन किया है और टीपीपी को पर्याप्त मात्रा में कोयले की आपूर्ति बढ़ाने के लिए सीएमटी पर प्रचालन संबंधी निर्णय लिए जा रहे हैं।
- (iii) अपने कोयला भंडारण को बढ़ाने में विद्युत संयंत्रों की सहायता करने के लिए, सीआईएल ने अक्टूबर, 2021 में राज्य/केंद्रीय जेनकोज को रेल सह सड़क (आरसीआर)/सड़क मोड के माध्यम से उठान के लिए अपनी विभिन्न सहायक कंपनियों से लगभग 5.2 मिलियन टन अतिरिक्त कोयले की पेशकश की थी।
- (iv) प्रत्येक वर्ष फरवरी से जून के दौरान पिट हेड स्टेशनों पर 17 दिनों और गैर-पिट हेड स्टेशनों पर 26 दिनों के लिए कोयले के भंडार रखने को अनिवार्य बनाने के लिए सीईए द्वारा 85% संयंत्र भार घटक (पीएलएफ) पर आधारित संशोधित कोयला भंडारण मानदंडों को जारी कर दिया गया है।
- (v) हाल ही में, स्थिति की समीक्षा करने और देश में विद्युत संयंत्रों को कोयले की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सचिव (कोयला), सचिव (विद्युत), सचिव (एमओईएफएंडसीसी) और अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड को शामिल करते हुए एक अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया गया है।

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 16.12.2021 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 3059 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

दिनांक 31.10.2021 तक की स्थिति के अनुसार कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों की संस्थापित क्षमता

ईंधन	राज्य	क्षमता (मेगावाट)
कोयला	हरियाणा	5330
कोयला	पंजाब	5680
कोयला	राजस्थान	8900
कोयला	उत्तर प्रदेश	23729
कोयला	छत्तीसगढ़	23688
कोयला	गुजरात	14692
कोयला	मध्य प्रदेश	21950
कोयला	महाराष्ट्र	23856
कोयला	आंध्र प्रदेश	11590
कोयला	कर्नाटक	9480
कोयला	तमिलनाडु	9520
कोयला	तेलंगाना	7572.5
कोयला	बिहार	7710
कोयला	झारखंड	4250
कोयला	ओडिशा	9540
कोयला	पश्चिम बंगाल	14177
कोयला	असम	750
कुल		202414.5

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3072

जिसका उत्तर 16 दिसंबर, 2021 को दिया जाना है ।

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत शामिल ग्रामीण परिवार

3072. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:

डॉ. हिना विजयकुमार गावीत:

श्री धैर्यशील संभाजीरव माणे:

डॉ. सुजय विखे पाटील:

श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत राज्य-वार कितने ग्रामीण परिवारों को कवर किया गया है;
- (ख) क्या सरकार का लक्ष्य 2019 और 2020 की तुलना में अगले तीन वर्षों में कोयला आधारित ऊर्जा के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना या कम करना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार का खुदरा उपभोक्ताओं का बोझ कम करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है
- (घ) क्या सरकार का भी नवीकरणीय ऊर्जा के बढ़ते महत्व के साथ कोल इंडिया लिमिटेड और ओएनजीसी जैसी सरकारी कंपनियों में परिवर्तन करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ङ) क्या सरकार की योजना बिजली के परिवहन हेतु दूसरा राष्ट्रीय ग्रिड स्थापित करने की है ताकि आपात स्थिति में इसे मुख्य पावर ग्रिड के विकल्प के रूप में उपयोग किया जा सके; और
- (च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) : भारत सरकार ने देश भर में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के लिए दिसंबर, 2014 में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) शुरू की थी। राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत देश भर में 2011 की जनगणना के अनुसार सभी आवसित गैर-विद्युतीकृत गांव 28 अप्रैल, 2018 को विद्युतीकृत हो गए हैं। स्कीम के अंतर्गत कुल 18,374 गांव विद्युतीकृत कर दिए गए थे।

डीडीयूजीजेवाई और सौभाग्य जैसी विभिन्न ग्रामीण विद्युतीकरण स्कीमों के अंतर्गत दिनांक 31.03.2021 तक देश भर में 2.817 करोड़ घर विद्युतीकृत कर दिए गए थे। विद्युतीकृत घरों का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध पर दिया गया है।

(ख) : विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत उत्पादन संयंत्र की स्थापना करना एक लाइसेंस-रहित गतिविधि है। यूटिलिटीयां अपने तकनीकी-आर्थिक और वाणिज्यिक सरोकारों के आधार पर अपनी पुरानी और अदक्ष इकाई को बंद करने का निर्णय स्वयं लेती हैं। तथापि, केंद्रीय सरकार की दिनांक 13.03.2021 की अधिसूचना के माध्यम से, 31.12.2025 से पहले विभिन्न तारीखों पर उत्सर्जन मानकों के लिए ताप विद्युत संयंत्रों को श्रेणी-वार बंद करने की रूपरेखा तैयार की गई है, जिसके बाद उनसे 0.20 रुपये प्रति यूनिट बिजली का पर्यावरण मुआवजा वसूला जाएगा।

(ग) : भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की एक श्रृंखला ने हाल के विगत समय में बिजली की कीमतों में वृद्धि को रोकने में सहायता की है। ऐसे कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- (i) भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के एक भाग के रूप में पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) लिमिटेड और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन (आरईसी) लिमिटेड के माध्यम से लिक्विडिटी निषेचन स्कीम (एलआईएस) की घोषणा की है। इस हस्तक्षेप के अंतर्गत, आरईसी और पीएफसी डिस्कॉमों को 10 वर्ष तक के विशेष दीर्घकालिक पारगमन ऋण प्रदान कर रहे हैं। दिनांक 07.12.2021 तक की स्थिति के अनुसार, पीएफसी और आरईसी ने विभिन्न विद्युत डिस्कॉमों को 1,03,387 करोड़ रुपये संवितरित किए हैं। इससे डिस्कॉमों के विलंबित भुगतान अधिभार का बोझ कम हुआ है।
- (ii) सीईआरसी ने, भारत सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 107 के अंतर्गत जारी निर्देशों के अनुसार, इस आशय का एक आदेश जारी किया था कि यदि डिस्कॉमों द्वारा उत्पादन कंपनियों और अंतर-राज्यीय पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों को, बिल प्रस्तुत करने की तारीख से 45 दिन बाद, किया गया विलंबित भुगतान दिनांक 24.03.2020 और दिनांक 30.06.2020 के बीच आता है, तो संबंधित वितरण कंपनियां 12% प्रति वर्ष की घटी दर पर एलपीएस सहित भुगतान करेंगी।
- (iii) दिनांक 22.02.2021 को अधिसूचित विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार) नियम, 2021 ने विलंब भुगतान अधिभार की दर को घटा दिया है। इससे डिस्कॉमों का वित्तीय बोझ कम होगा।
- (iv) डिस्कॉमों को, जो 25 वर्ष पूरे कर चुके हैं, केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों के विद्युत क्रय करार से बाहर निकलने की भी अनुमति दी गई है। इससे डिस्कॉमों की विद्युत क्रय लागत में कमी आएगी।

(घ) : कोयला मंत्रालय ने सूचित किया है कि कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने विद्युत की खपत के वर्तमान स्तर को प्रतिसंतुलित करने के उद्देश्य से, वर्ष 2024 तक सौर ऊर्जा परियोजनाओं की लगभग 3000 मेगावाट क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है जो सीआईएल को निवल शून्य ऊर्जा कंपनी बनने में सहायता करेगा। इसके अलावा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सूचित किया है कि ओएनजीसी अनिवार्य रूप से एक अन्वेषण और उत्पादन कंपनी है और कुछ परियोजनाओं को नवीकरणीय ऊर्जा पर क्रियान्वित किया है।

(ङ) और (च) : देश में पर्याप्त अतिरिक्त सहित एक मजबूत राष्ट्रीय ग्रिड पहले से मौजूद है और दूसरा राष्ट्रीय ग्रिड स्थापित करने की कोई योजना नहीं है। भार और उत्पादन में वृद्धि को संभालने के लिए सतत आधार पर राष्ट्रीय ग्रिड का विस्तार करने के लिए एक ढांचा मौजूद है।

लोक सभा में दिनांक 16.12.2021 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 3072 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

डीडीयूजीजेवाई और सौभाग्य के अंतर्गत विद्युतीकृत घरों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	दिनांक 31.03.2021 तक विद्युतीकृत घरों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा
1.	आंध्र प्रदेश	1,81,930
2.	अरुणाचल प्रदेश	47,089
3.	असम	19,45,149
4.	बिहार	32,59,041
5.	छत्तीसगढ़	7,89,791
6.	गुजरात	41,317
7.	हरियाणा	54,681
8.	हिमाचल प्रदेश	12,891
9.	जम्मू वकश्मीर	3,77,045
10.	झारखंड	17,30,708
11.	कर्नाटक	3,83,798
12.	लद्दाख	10,456
13.	मध्य प्रदेश	19,84,264
14.	महाराष्ट्र	15,17,922
15.	मणिपुर	1,08,115
16.	मेघालय	1,99,839
17.	मिजोरम	27,970
18.	नागालैंड	1,32,507
19.	ओडिशा	24,52,444
20.	पुदुचेरी	912
21.	पंजाब	3,477
22.	राजस्थान	20,75,522
23.	सिक्किम	14,900
24.	तमिलनाडु	2,170
25.	तेलंगाना	5,15,084
26.	त्रिपुरा	1,39,090
27.	उत्तर प्रदेश	91,80,571
28.	उत्तराखंड	2,48,751
29.	पश्चिम बंगाल	7,32,290
	कुल	2,81,69,724

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3095

जिसका उत्तर 16 दिसंबर, 2021 को दिया जाना है ।

ग्रामीण क्षेत्र में अविद्युतीकृत घर

3095. श्री राजेश नारणभाई चुड़ासमा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में ग्रामीण क्षेत्र में अविद्युतीकृत घरों का कोई मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) 31 अक्टूबर, 2021 तक अविद्युतीकृत गांवों की संख्या सहित कितनी उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं; और

(घ) सरकार द्वारा देश के सभी ग्रामीण घरों को कवर करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (घ) : भारत सरकार ने देश भर में सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करने के लिए "प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना" - सौभाग्य की शुरुआत की। राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, दिनांक 31.03.2019 तक देश में अभिचिन्हित सभी घरों का दिनांक 31.03.2021 तक विद्युतीकरण कर दिया गया था। इस स्कीम के अंतर्गत, देश में 2.81 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया था और यह स्कीम पूरी हो गई है। विद्युतीकृत घरों का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

भारत सरकार ने देश में ग्रामीण क्षेत्रों में उप-पारेषण और वितरण कार्यों, फीडर पृथक्करण और ग्रामीण विद्युतीकरण के संवर्धन और सुदृढीकरण के लिए दिसंबर, 2014 में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) भी शुरू की थी। राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, देश भर में जनगणना 2011 के अनुसार, सभी आवासित गैर-विद्युतीकृत गांव 28 अप्रैल, 2018 तक की स्थिति के अनुसार डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत विद्युतीकृत हो गए हैं। इस स्कीम के तहत कुल 18,374 गांवों का विद्युतीकरण किया गया था। ग्रामीण घरों का विद्युतीकरण एक सतत् प्रक्रिया है और विद्युत वितरण यूटिलिटियां उपभोक्ताओं को विद्युत कनेक्शन, जब कभी नए घरों से मांग की जाती है, जारी करती हैं।

लोक सभा में दिनांक 16.12.2021 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3095 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

सौभाग्य स्कीम की शुरुआत से घरों का राज्यवार विद्युतीकरण

क्रम सं.	राज्यों के नाम	दिनांक 11.10.2017 से दिनांक 31.03.2019 तक विद्युतीकृत घरों की संख्या	दिनांक 01.04.2019 से दिनांक 31.03.2021 तक विद्युतीकृत घरों की संख्या	दिनांक 31.03.2021 तक कुल विद्युतीकृत घर
1	आंध्र प्रदेश	1,81,930		1,81,930
2	अरुणाचल प्रदेश	47,089		47,089
3	असम	17,45,149	2,00,000	19,45,149
4	बिहार	32,59,041		32,59,041
5	छत्तीसगढ़	7,49,397	40,394	7,89,791
6	गुजरात	41,317		41,317
7	हरियाणा	54,681		54,681
8	हिमाचल प्रदेश	12,891		12,891
9	जम्मू और कश्मीर	3,77,045		3,77,045
10	झारखंड	15,30,708	2,00,000	17,30,708
11	कर्नाटक	3,56,974	26,824	3,83,798
12	लद्दाख	10,456		10,456
13	मध्य प्रदेश	19,84,264		19,84,264
14	महाराष्ट्र	15,17,922		15,17,922
15	मणिपुर	1,02,748	5,367	1,08,115
16	मेघालय	1,99,839		1,99,839
17	मिजोरम	27,970		27,970
18	नागालैंड	1,32,507		1,32,507
19	ओडिशा	24,52,444		24,52,444
20	पुदुचेरी	912		912
21	पंजाब	3,477		3,477
22	राजस्थान	18,62,736	2,12,786	20,75,522
23	सिक्किम	14,900		14,900
24	तमिलनाडु	2,170		2,170
25	तेलंगाना	5,15,084		5,15,084
26	त्रिपुरा	1,39,090		1,39,090
27	उत्तर प्रदेश	79,80,568	12,00,003	91,80,571
28	उत्तराखंड	2,48,751		2,48,751
29	पश्चिम बंगाल	7,32,290		7,32,290
	कुल	2,62,84,350	18,85,374	2,81,69,724

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3099

जिसका उत्तर 16 दिसंबर, 2021 को दिया जाना है ।

प्रीपेड मीटरों में उन्नयन की स्थिति

3099. श्री दुष्यंत सिंह:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने पूरे देश में पुराने मीटरों के स्थान पर प्रीपेड या स्मार्ट बिजली मीटर लगाने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) प्रीपेड मीटरों में उन्नयन की वर्तमान स्थिति का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार का कृषि कनेक्शनों के लिए भी प्रीपेड मीटर लगाने का कोई इरादा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या सरकार विभिन्न राज्य सरकारों को प्रीपेड मीटर लगाने के लिए कोई वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है;
- (ङ) यदि हां, तो ऐसी सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और
- (च) मीटर की आपूर्ति करने तथा इसे लगाए जाने में शामिल कंपनियों का तथा उन्नयन के बाद राज्यों में प्रीपेड मीटरों के माध्यम से संग्रह की प्रभावकारिता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग) : भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन (एनएसजीएम) और एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) के अंतर्गत स्मार्ट मीटरिंग के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को निधियां प्रदान की हैं। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार द्वारा दिनांक 20 जुलाई, 2021 को शुरू की गई संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के अंतर्गत, पूरे देश में मार्च, 2025 तक 25 करोड़ प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का प्रावधान किया गया है। (i) एटी एंड सी हानियां >15% वाले 500 अमृत नगरों के सभी विद्युत मंडलों (ii) सभी संघ राज्य क्षेत्रों (iii) एमएसएमईयों तथा सभी अन्य औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उपभोक्ताओं (iv) ब्लॉक और उससे ऊपर के स्तर के सभी सरकारी कार्यालयों (v) दिसंबर, 2023 तक संस्थापना हेतु उच्च हानियों वाले अन्य सभी क्षेत्रों

को वरीयता दी जाएगी। आरडीएसएस में कृषि उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटरिंग अधिदेशित नहीं है। देश में पहले से संस्थापित प्रीपेड स्मार्ट मीटरों सहित, स्मार्ट मीटरों के ब्योरे **अनुबंध** में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) : संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) में ओपेक्स मोड में स्मार्ट मीटरिंग की परिकल्पना की गई है और यह प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग का विकल्प चुनने वाले डिस्कॉमों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। स्कीम के अंतर्गत, 'विशेष श्रेणी राज्यों के अलावा' में, संपूर्ण परियोजना अवधि के लिए गणना की गई प्रति मीटर लागत के 15% (विशेष श्रेणी राज्यों के मामले में 22.5%) की निश्चित राशि का निधीयन किया जाएगा, बशर्ते कि उपभोक्ता मीटरों के मामलों में अधिकतम राशि 900/-रूपये (विशेष श्रेणी राज्यों के मामले में 1350/-रूपये) प्रति मीटर होगी।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिसंबर, 2023 तक प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। प्रथम चरण मिशन की लक्षित समय-सीमा के भीतर अर्थात् दिसंबर, 2023 तक लगाए गए प्रीपेड स्मार्ट मीटरों के लिए 'विशेष श्रेणी राज्यों के अलावा' के लिए संपूर्ण परियोजना के लिए गणना की गई प्रति उपभोक्ता मीटर की लागत के 7.5% अथवा 450/-रूपये प्रति उपभोक्ता मीटर, जो भी कम हो, की दर से प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। यह प्रोत्साहन राशि विशेष श्रेणी राज्यों के लिए संपूर्ण परियोजनाओं के लिए गणना की गई प्रति उपभोक्ता मीटर लागत के 11.25% अथवा 675/-रूपये प्रति उपभोक्ता मीटर, जो भी कम हो, की दर से होगी।

इस स्कीम के निष्पादन के प्रयोजन के लिए, सिक्किम सहित सभी पूर्वोत्तर राज्यों और हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड राज्यों और जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों को विशेष श्रेणी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र माना जाएगा।

(च) : जबकि विभिन्न राज्यों में स्मार्ट मीटरिंग घटकों की संस्थापना के लिए अनेक एजेंसियां लगी हुई हैं, बिहार में एनर्जी एफिसिएंसी सर्विसिज लिमिटेड (ईईएसएल) द्वारा बड़े पैमाने पर प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एसबीपीडीसीएल) द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने के बाद संग्रहण में 20% तक सुधार हुआ है।

लोक सभा में दिनांक 16.12.2021 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 3099 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

स्मार्ट मीटरिंग का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आंकड़े (दिनांक 09-12-2021 तक)				
क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	यूटिलिटी	संस्थापित स्मार्ट मीटर	संस्थापित स्मार्ट प्रीपेड मीटर
1	अंडमान	ईडीएएनआई	66,308	
2	असम	एपीडीसीएल	180,416	5,430
3	बिहार	एलबीपीडीसीएल	143,011	142,225
		एसबीपीडीसीएल	209,275	208,471
		बिहार कुल	352,286	350,696
4	चंडीगढ़	सीईडी	16,931	
5	दिल्ली	एनडीएमसी	61,449	
		टीपीडीडीएल	195,000	
		दिल्ली कुल	256,449	
6	गुजरात	यूजीवीसीएल	23,760	
7	हरियाणा	यूएचबीवीएन	217,365	366
		डीएचबीवीएन	157,672	7
		हरियाणा कुल	375,037	373
8	हिमाचल प्रदेश	एचपीएसईबी	24,469	
9	जम्मू एवं कश्मीर	जेकेपीडीडी	13,831	
10	कर्नाटक	सीईएससीओएम	20,916	
11	केरल	सीपीटी	780	
12	मध्य प्रदेश	एमपी-वेस्ट	215,110	
13	ओडिशा	ओपीटीसीएल	4,000	
14	पुदुचेरी	पीईडी	30,568	
15	पंजाब	पीएसपीसीएल	53,000	
16	राजस्थान	जाववीएनएल	282,119	
		एवीवीएनएल	57,501	
		जेडीवीवीएनएल	38,839	
		राजस्थान कुल	378,459	
17	तमिलनाडु	टैनजेडको	52,482	
18	त्रिपुरा	टीएसईसीएल	43,081	
19	तेलंगाना	टीएसएसपीडीसीएल	8,882	
20	उत्तर प्रदेश	एमवीवीएनएल	378,838	3,337
		पीवीवीएनएल	198,726	20
		डीवीवीएनएल	147,991	127
		पीयूवीवीएनएल	321,433	1,135
		केस्को	107,346	60,266
		कुल उत्तर प्रदेश	1,154,334	64,885
21	पश्चिम बंगाल	डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	5,164	
		सीईएससी	10,000	
		कुल पश्चिम बंगाल	15,164	
कुल योग			32,86,263	421,384

(स्रोत: एनएसजीएम वेबसाइट)

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3102

जिसका उत्तर 16 दिसंबर, 2021 को दिया जाना है।

विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति

3102. श्री संजय काका पाटील:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार का बिजली उत्पादन संयंत्रों के लिए कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार का बिजली संयंत्रों के लिए कोयला आयात करने का भी विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) क्या सरकार ने अन्य देशों के साथ कोयले की आपूर्ति के बारे में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) : ताप विद्युत संयंत्रों (टीपीपीज) को घरेलू कोयले की आपूर्ति सरकार द्वारा उन्हें अवार्ड किए गए लिंकेजों के अनुसार की जाती है, जिसके लिए ईंधन आपूर्ति करार (एफएसएज) हस्ताक्षरित किए गए हैं। इसके साथ-साथ, घरेलू कोयले की आपूर्ति ई-नीलामी और कैप्टिव कोयला ब्लॉकों के माध्यम से भी की जाती है।

वर्ष 2009 से पहले चालू किए गए विद्युत संयंत्रों के लिए, संयंत्रों द्वारा खपत के पैटर्न के आधार पर एफएसएज हस्ताक्षरित किए जाते हैं। तदोपरांत, नई कोयला वितरण नीति- 2007 के अंतर्गत लिंकेज अवार्ड किए गए। वर्तमान में, टीपीपीज शक्ति [स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड एलोकेटिंग कोयला (कोल) ट्रांसपेरेंटली इन इंडिया] नामक नई नीति, जिसे कोयला मंत्रालय द्वारा मई, 2017 में जारी किया गया था, के माध्यम से लिंकेज प्राप्त करते हैं।

(ख) और (ग) : वर्तमान आयात नीति के अनुसार, कोयले को मुक्त सामान्य लाइसेंस (ओजीएल) के अंतर्गत रखा गया है और उपभोक्ता लागू सीमा शुल्क के भुगतान पर अपने संविदात्मक मूल्यों के अनुसार अपने विकल्प के स्रोत से कोयला आयात करने के लिए मुक्त होते हैं। विद्युत मंत्रालय ने, दिनांक 07.12.2021 को, एनटीपीसी तथा डीवीसी द्वारा वर्ष 2022-23 की अवधि और उनके संयंत्रों की 85% घोषित क्षमता सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित कोयले की 10% सीमा तक मिश्रण के प्रयोजन हेतु कोयले के आयात की अनुमति दी है। राज्य जेनकोज और स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आईपीपीज) के संबंध में 4% तक मिश्रण की सलाह दी गई है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3108

जिसका उत्तर 16 दिसंबर, 2021 को दिया जाना है।

‘सौभाग्य’ के अंतर्गत आरंभ किए गए कार्य

3108. श्री रोड़मल नागर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना - सौभाग्य के अंतर्गत शुरू किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है;
- (ख) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान उक्त कार्य के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत, आवंटित और उपयोग की गई है; और
- (ग) वर्तमान में मध्य प्रदेश सहित देश में ऐसे गांवों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जिनका विद्युतीकरण किए जाने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) : भारत सरकार ने देश में ग्रामीण क्षेत्रों के सभी इच्छुक गैर-विद्युतीकृत घरों और शहरी क्षेत्रों के सभी इच्छुक गरीब घरों को मार्च, 2019 तक बिजली के कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण हासिल करने के उद्देश्य से अक्टूबर, 2017 में “प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना - सौभाग्य” शुरू की। दिनांक 31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार, राज्यों ने छत्तीसगढ़ के वाम पंथ उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों के 18,734 घरों को छोड़कर (मध्य प्रदेश के 19,84,264 घरों सहित) सभी घरों का विद्युतीकरण किए जाने की सूचना दी थी। इसके अतिरिक्त, मध्य प्रदेश के अनुरोध के आधार पर, अतिरिक्त 99,722 गैर-विद्युतीकृत घरों के विद्युतीकरण के लिए अगस्त, 2021 में संस्वीकृति दे दी गई है।

(ख) : विगत तीन वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान उक्त कार्यों के लिए संस्वीकृत, आवंटित और उपयोग की गई निधियों की मात्रा **अनुबंध** में दी गई हैं।

(ग) : मध्य प्रदेश सहित देश में 28 अप्रैल, 2018 तक सभी जनगणना गांवों का विद्युतीकरण पूरा हो गया है।

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 16.12.2021 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 3108 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

करोड़ रुपये में

क्रम सं.	राज्यों के नाम	सौभाग्य के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी किया गया अनुदान					
		2018-19	2019-20	2020-21	2021-22 (30.11.2021 तक की स्थिति के अनुसार)	कुल	राज्यों द्वारा प्रयोग की गई निधियां
1	अरुणाचल प्रदेश	139	14	-	-	153	153
2	असम	403	121	118	-	642	642
3	बिहार	199	136	17	-	352	352
4	छत्तीसगढ़	219	32	42	38	331	331
5	हरियाणा	-	3	-	-	3	3
6	हिमाचल प्रदेश	1	3	-	-	4	4
7	जम्मू और कश्मीर	45	-	-	-	45	29
8	झारखंड	83	4	60	-	147	147
9	कर्नाटक	-	40	-	0	40	40
10	केरल	-	26	13	12	51	51
11	लद्दाख	6	-	-	-	6	6
12	मध्य प्रदेश	147	-	6	89	242	242
13	महाराष्ट्र	140	43	-	19	202	202
14	मणिपुर	35	33	12	-	80	80
15	मेघालय	98	88	1	-	187	187
16	मिजोरम	35	-	6	0	41	41
17	नागालैंड	34	-	-	9	43	43
18	ओडिशा	168	-	-	-	168	168
19	पंजाब	-	-	0	0	1	1
20	राजस्थान	103	76	101	26	306	306
21	सिक्किम	-	1	1	0	2	2
22	तेलंगाना	-	15	-	1	17	17
23	त्रिपुरा	237	8	0	15	260	260
24	उत्तर प्रदेश	523	26	52	117	717	717
25	उत्तराखंड	22	7	1	-	30	30
26	पश्चिम बंगाल	73	20	16	13	123	123
	कुल	2,709	696	448	340	4,193	4,176

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3158

जिसका उत्तर 16 दिसंबर, 2021 को दिया जाना है ।

ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकी

3158. श्री तालारी रंगैय्या:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के उपयोग हेतु कोई ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकी विकसित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अब तक लाभान्वित हुए आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं की संख्या का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग) : देश में ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकी सहित नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में विभिन्न अनुसंधान संस्थानों/विश्वविद्यालयों/प्रयोगशालाओं और उद्योगों में अनुसंधान एवं विकास किया जाता है। आईआईटी बॉम्बे में राष्ट्रीय प्रकाश वोल्टीय अनुसंधान तथा शिक्षा केंद्र (एनसीपीआरई) ने लिथियम ऑयन और सोडियम ऑयन बैटरियों को विकसित किया है।

ऑफ-ग्रिड और विकेन्द्रीकृत सौर पीवी अनुप्रयोग कार्यक्रम ने प्राथमिक रूप से सार्वजनिक सेवा संस्थानों, को बैटरी समर्थित ऑफ-ग्रिड सौर ऊर्जा संयंत्रों/पैकों की संस्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की। कार्यक्रम के तहत, अब तक, इन संयंत्रों की 216.9 एमडब्ल्यूपी क्षमता संस्थापित की जा चुकी है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3187

जिसका उत्तर 16 दिसंबर, 2021 को दिया जाना है।

प्रीपेड इलेक्ट्रिक मीटर

3187. श्रीमती साजदा अहमद:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का सभी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए प्रीपेड विद्युत मीटर लगाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मीटरिंग की वर्तमान प्रणाली के कारण विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) को तकनीकी और वाणिज्यिक नुकसान हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का स्मार्ट मीटर लगाने के लिए बजटीय सहायता देने का भी प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : जी हां। भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन (एनएसजीएम) और एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) के अंतर्गत स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को निधियां प्रदान कीं हैं। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार द्वारा दिनांक 20 जुलाई, 2021 को शुरू की गई संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के अंतर्गत, पूरे देश में 25 करोड़ प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का प्रावधान किया गया है।

देश में पहले से लगाए जा चुके प्रीपेड स्मार्ट मीटरों सहित, स्मार्ट मीटरों के ब्यौरे अनुबंध में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) : प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग से मीटरिंग, बिलिंग तथा संग्रहण में मानव हस्तक्षेप समाप्त हो जाते हैं, जबकि इसी समय उपभोक्ताओं के पास अपनी वास्वतिक आवश्यकताओं के अनुरूप लगभग रियल टाइम आधार पर अपनी खपत की जांच करने का विकल्प होता है। स्वचालित मीटरिंग, बिलिंग तथा संग्रहण से चोरी के कारण हानियां सहित इन प्रक्रियाओं में अदक्षताएं समाप्त हो जाती हैं। इससे तकनीकी और वाणिज्यिक हानियां कम करने में सहायता मिलेगी।

(ड) और (च) : संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम में प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग के लिए डिस्कॉमों को वित्तीय सहायता की परिकल्पना की गई है। स्कीम के अंतर्गत, 'विशेष श्रेणी के राज्यों के अलावा' में, संपूर्ण परियोजना अवधि के लिए गणना की गई प्रति मीटर लागत के 15% (विशेष श्रेणी राज्यों के मामले में 22.5%) की निश्चित राशि, भारत सरकार की ओर से वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी, बशर्ते कि उपभोक्ता मीटरों के मामलों में अधिकतम राशि 900/-रूपये (विशेष श्रेणी राज्यों के मामले में 1350/-रूपये) प्रति मीटर होगी।

इसके अतिरिक्त, प्रथम चरण मिशन की लक्षित समय-सीमा के भीतर अर्थात् दिसंबर, 2023 तक लगाए गए प्रीपेड स्मार्ट मीटरों के लिए 'स्पेशल श्रेणी राज्यों के अलावा,' के लिए संपूर्ण परियोजना के लिए गणना की गई प्रति उपभोक्ता मीटर की लागत के 7.5% अथवा 450/-रूपये प्रति उपभोक्ता मीटर, जो भी कम हो, की दर से प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। यह प्रोत्साहन राशि विशेष श्रेणी राज्यों के लिए संपूर्ण परियोजनाओं के लिए गणना की गई प्रति उपभोक्ता मीटर लागत के 11.25% अथवा 675/-रूपये प्रति उपभोक्ता मीटर, जो भी कम हो, होगी।

शेष लागत का वहन परियोजना विकासकर्ता द्वारा किया जाएगा जिसे मासिक आधार पर भुगतान किया जाएगा, जिसकी पूर्ति वितरण कंपनी द्वारा राजस्व संग्रहण में बढ़ोतरी से आसानी से की जा सकती है।

इस स्कीम के निष्पादन के प्रयोजन के लिए, सिक्किम सहित सभी पूर्वोत्तर राज्यों और हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड राज्यों और जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों को विशेष श्रेणी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र माना जाएगा।

लोक सभा में दिनांक 16.12.2021 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3187 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

स्मार्ट मीटरिंग का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आंकड़ा (09-12-2021 तक)				
क्रम सं.	राज्य	यूटिलिटी	संस्थापित स्मार्ट मीटर	संस्थापित स्मार्ट प्रीपेड मीटर
1	अंडमान	ईडीएएनआई	66,308	
2	असम	एपीडीसीएल	180,416	5,430
3	बिहार	एलबीपीडीसीएल	143,011	142,225
		एसबीपीडीसीएल	209,275	208,471
		बिहार कुल	352,286	350,696
4	चंडीगढ़	सीईडी	16,931	
5	दिल्ली	एनडीएमसी	61,449	
		टीपीडीडीएल	195,000	
		दिल्ली कुल	256,449	
6	गुजरात	यूजीवीसीएल	23,760	
7	हरियाणा	यूएचबीवीएन	217,365	366
		डीएचबीवीएन	157,672	7
		हरियाणा कुल	375,037	373
8	हिमाचल प्रदेश	एचपीएसईबी	24,469	
9	जम्मू एवं कश्मीर	जेकेपीडीडी	13,831	
10	कर्नाटक	सीईएससीओएम	20,916	
11	केरल	सीपीटी	780	
12	मध्य प्रदेश	एमपी-वेस्ट	215,110	
13	ओडिशा	ओपीटीसीएल	4,000	
14	पुद्दुचेरी	पीईडी	30,568	
15	पंजाब	पीएसपीसीएल	53,000	
16	राजस्थान	जाववीएनएल	282,119	
		एवीवीएनएल	57,501	
		जेडीवीवीएनएल	38,839	
		राजस्थान कुल	378,459	
17	तमिलनाडु	टैनजेडको	52,482	
18	त्रिपुरा	टीएसईसीएल	43,081	
19	तेलंगाना	टीएसएसपीडीसीएल	8,882	
20	उत्तर प्रदेश	एमवीवीएनएल	378,838	3,337
		पीवीवीएनएल	198,726	20
		डीवीवीएनएल	147,991	127
		पीयूवीवीएनएल	321,433	1,135
		केस्को	107,346	60,266
		कुल उत्तर प्रदेश	1,154,334	64,885
21	पश्चिम बंगाल	डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	5,164	
		सीईएससी	10,000	
		कुल पश्चिम बंगाल	15,164	
	कुल योग		32,86,263	421,384

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3204

जिसका उत्तर 16 दिसंबर, 2021 को दिया जाना है।

एनटीपीसी द्वारा एफजीडी प्रणाली की स्थापना

3204. श्री कृपाल बालाजी तुमाने:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा एनटीपीसी को प्रदूषण नियंत्रण करने हेतु फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन (एफजीडी) प्रणाली स्थापित करने का निदेश दिया गया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या एनटीपीसी ने एफजीडी की स्थापना के लिए एकल परियोजना प्रणाली की जगह सामूहिक परियोजना प्रणाली स्थापित करने का निर्णय लिया है;
- (घ) यदि हां, तो विभिन्न बोलीदाताओं को दिए गए परियोजना समूह का ब्यौरा क्या है तथा इसकी सिविल प्रगति, यांत्रिक और एफजीडी स्थापन के इलेक्ट्रिक/उपकरण का ब्यौरा क्या है;
- (ङ) क्या सामूहिक प्रणाली से हानि तथा समापन में विलंब हुआ है और एफजीडी के स्थापन में लागत वृद्धि हुई है; और
- (च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) ने, दिनांक 07.12.2015 की अधिसूचना द्वारा, ताप विद्युत संयंत्रों के लिए सल्फर डाईऑक्साइड (SO₂) के लिए उत्सर्जन मानक जारी किए। तदनुसार, सभी ताप विद्युत संयंत्रों से अपेक्षित है कि वे सल्फर डाईऑक्साइड (SO₂) का उत्सर्जन निर्धारित मानकों के भीतर नियंत्रित रखें। एनटीपीसी के विद्युत संयंत्र भी इसी अधिसूचना के अंतर्गत आते हैं।

(ग) और (घ) : एनटीपीसी ने अवार्ड करने और समय-सीमा की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए निविदा प्रक्रिया समय को न्यूनतम रखने के लिए लॉट सिस्टम अपनाया और तदनुसार, एनटीपीसी की सभी यूनिटों को फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन (एफजीडी) के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया गया था तथा पहले नई यूनिटों के लिए, उसके बाद पुरानी यूनिटों के लिए निविदाकृत किया गया था। इसके अतिरिक्त, वे परियोजनाएं जिन्हें लागत अनुमानों के संबंध में मुख्य रूप से अधिक लागत के कारण अवार्ड नहीं किया जा सका, उन्हें बाद के लॉट में फिर से निविदाकृत किया गया था। अवार्ड और निर्माण के प्रगति के ब्यौरे अनुबंध पर दिए गए हैं।

(ङ) और (च) : एनटीपीसी द्वारा अनुबंध उन ठेकेदारों को अवार्ड किए गए हैं जो गहन विपरीत नीलामी प्रक्रिया के बाद प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से परियोजना-वार न्यूनतम (एल1) बोलीकर्ता के रूप में सामने आए और ये एनटीपीसी के लागत अनुमान की रेंज के भीतर हैं। लॉट प्रणाली में निविदाकरण से मूल्य मूल्यांकन प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था क्योंकि प्रत्येक परियोजना के लिए मूल्य बोली मूल्यांकन अलग से किया गया है।

लोक सभा में दिनांक 16.12.2021 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 3204 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

एनटीपीसी में एफजीडी की संस्थापना – अवाई और निर्माण प्रगति के ब्यौरे

क्रम सं.	लॉट	परियोजना/क्षमता	एजेंसी*	एफजीडी संस्थापना की सिविल प्रगति, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल निर्माण कार्य की स्थिति
1	लॉट-ए	सोलापुर (2X660 मेगावाट)	जीई	सिविल कार्य पूर्णता के अग्रिम चरण में है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल कार्य प्रगति पर है।
2	लॉट-ए	बाढ़-I (3x660 मेगावाट)	बीएचईएल	इंजीनियरिंग और व्यवस्थापन प्रगति पर। भू-तकनीकी कार्य पूर्ण। पाइलिंग कार्य प्रगति पर। निर्माण कार्य शुरू होने हैं।
3	लॉट-ए	बीआबीसीएल (4x250 मेगावाट)	बीएचईएल	इंजीनियरिंग और व्यवस्थापन प्रगति पर। भू-तकनीकी कार्य पूर्ण। पाइलिंग कार्य प्रगति पर। निर्माण कार्य शुरू होने हैं।
4	लॉट-ए	एनपीजीसी (3X660 मेगावाट)	बीएचईएल	इंजीनियरिंग और व्यवस्थापन प्रगति पर। भू-तकनीकी कार्य पूर्ण। पाइलिंग कार्य प्रगति पर। निर्माण कार्य शुरू होने हैं।
5	लॉट-ए	कुडगी (3X800 मेगावाट)	आईएसजीईसी	सिविल कार्य, मैकेनिकल निर्माण प्रगति पर। इलेक्ट्रिकल और सीएंडआई कार्य शुरू किए गए।
6	लॉट-ए	टांडा-II (2X660 मेगावाट)	जीई	सिविल कार्य, मैकेनिकल निर्माण प्रगति पर। इलेक्ट्रिकल और सीएंडआई कार्य शुरू किए गए।
7	लॉट-ए	मेजा (2X660 मेगावाट)	जीई	सिविल कार्य, मैकेनिकल निर्माण प्रगति पर। इलेक्ट्रिकल और सीएंडआई कार्य शुरू किए गए।
8	लॉट-ए	दरलीपल्ली (2X800 मेगावाट)	एलएंडटी	सिविल कार्य, मैकेनिकल निर्माण प्रगति पर। इलेक्ट्रिकल और सीएंडआई कार्य शुरू किए गए।
9	लॉट-ए	गादरवाड़ा (2X800 मेगावाट)	आईएसजीईसी	सिविल कार्य, मैकेनिकल निर्माण प्रगति पर। इलेक्ट्रिकल और सीएंडआई कार्य शुरू किए गए।
10	लॉट-ए	लारा-I (2X800 मेगावाट)	एलएंडटी	सिविल कार्य, मैकेनिकल निर्माण प्रगति पर। इलेक्ट्रिकल और सीएंडआई कार्य शुरू किए गए।
11	लॉट-ए	मौदा-II (2X660 मेगावाट)	एमपीआई	सिविल कार्य, मैकेनिकल निर्माण प्रगति पर। इलेक्ट्रिकल और सीएंडआई कार्य शुरू किए गए।
12	लॉट-बी	विंध्याचल-III, IV (4X500 मेगावाट)	एलएंडटी	सिविल कार्य, मैकेनिकल निर्माण प्रगति पर। इलेक्ट्रिकल और सीएंडआई कार्य शुरू किए जाने हैं।
13	लॉट-बी	रिहंद-II, III (4X500 मेगावाट)	एमपीआई	पाइलिंग कार्य पूर्णता के अग्रिम चरण में है, सिविल और मैकेनिकल कार्य प्रगति पर है।
14	लॉट-बी	बाढ़-II (2X660 मेगावाट)	बीएचईएल	इंजीनियरिंग और व्यवस्थापन प्रगति पर। भू-तकनीकी कार्य पूर्ण। पाइलिंग कार्य प्रगति पर। निर्माण कार्य शुरू होने हैं।
15	लॉट-बी	ऊंचाहार-IV (1x500 मेगावाट)	जीई	सिविल कार्य, मैकेनिकल निर्माण प्रगति पर।

क्रम सं.	लॉट	परियोजना/क्षमता	एजेंसी*	एफजीडी संस्थापना की सिविल प्रगति, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल निर्माण कार्य की स्थिति
				इलेक्ट्रिकल और सीएंडआई कार्य शुरू किए गए।
16	लॉट-बी	मौदा-I (2x500 मेगावाट)	बीएचईएल	सिविल कार्य, मैकेनिकल निर्माण प्रगति पर। इलेक्ट्रिकल और सीएंडआई कार्य शुरू किए जाने हैं।
17	लॉट-II	भिलाई (2x250 मेगावाट)	बीएचईएल	इंजीनियरिंग और व्यवस्थापन प्रगति पर। भू-तकनीकी कार्य पूर्ण। सिविल फाउंडेशन कार्य शुरू।
18	लॉट-II	सिपत-I (3X660 मेगावाट)	जीई	सिविल कार्य, मैकेनिकल निर्माण प्रगति पर। इलेक्ट्रिकल और सीएंडआई कार्य शुरू किए जाने हैं।
19	लॉट-II	सिम्हाद्री-I & II (4X500 मेगावाट)	जीई	सिविल कार्य, मैकेनिकल निर्माण प्रगति पर। इलेक्ट्रिकल और सीएंडआई कार्य शुरू किए जाने हैं।
20	लॉट-III	कोरबा-I, II, III (3x200 मेगावाट एवं 4x500 मेगावाट)	बीएचईएल	इंजीनियरिंग और व्यवस्थापन प्रगति पर। भू-तकनीकी कार्य पूर्ण। पाइलिंग कार्य प्रगति पर। निर्माण कार्य शुरू होने हैं।
21	लॉट-III	विंध्याचल-I, II (6X210 मेगावाट एवं 2X500मेगावाट)	एलएंडटी	सिविल कार्य, मैकेनिकल निर्माण प्रगति पर। इलेक्ट्रिकल और सीएंडआई कार्य शुरू किए जाने हैं।
22	लॉट-III	रामागुडम-I, II (3x200 मेगावाट), (3x500 मेगावाट)	बीएचईएल	इंजीनियरिंग और व्यवस्थापन प्रगति पर। भू-तकनीकी कार्य पूर्ण। सिविल कार्य प्रगति पर। निर्माण कार्य शुरू किए जाने हैं।
23	लॉट-IV	फरक्का-I/II & III (3x200 मेगावाट) एवं 3x500 मेगावाट)	एमपीआई	इंजीनियरिंग और व्यवस्थापन प्रगति पर। भू-तकनीकी कार्य पूर्ण। पाइलिंग कार्य शुरू हुआ। निर्माण कार्य शुरू होने हैं।
24	लॉट-IV	कहलगांव- I, II (4x210 मेगावाट) एवं (3x500 मेगावाट)	बीएचईएल	इंजीनियरिंग और व्यवस्थापन प्रगति पर। भू-तकनीकी कार्य पूर्ण। सिविल और निर्माण कार्य शुरू होने हैं ।
25	लॉट-IV	सिंगरौली-I एवं II (5x200 मेगावाट), (2X500 मेगावाट)	पीईएस	इंजीनियरिंग और व्यवस्थापन प्रगति पर। भू-तकनीकी कार्य पूर्ण। सिविल कार्य प्रगति पर। निर्माण कार्य शुरू किए जाने हैं।
26	लॉट-IV	ऊंचाहार -I/II/III (5x210 मेगावाट)	जीई	सिविल कार्य, मैकेनिकल निर्माण प्रगति पर। इलेक्ट्रिकल और सीएंडआई कार्य शुरू किए जाने हैं।
27	लॉट-V	तलचेर-I एवं II (6X500 मेगावाट)	टीपीएल	चिमनी शेल कास्टिंग सहित सिविल कार्य प्रगति। मैकेनिकल निर्माण शुरू। इलेक्ट्रिकल और सीआई निर्माण शुरू होने हैं।
28	लॉट-V	रामागुडम-III (1x500 मेगावाट)	ईपीआईएल	इंजीनियरिंग और व्यवस्थापन प्रगति पर। भू-तकनीकी कार्य पूर्ण। सिविल, निर्माण कार्य शुरू किए जाने हैं।
29	लॉट-V	वेल्लुर (3x500 मेगावाट)	टीपीएल	इंजीनियरिंग और व्यवस्थापन प्रगति पर। भू-तकनीकी कार्य पूर्ण। सिविल कार्य प्रगति पर।

क्रम सं.	लॉट	परियोजना/क्षमता	एजेंसी*	एफजीडी संस्थापना की सिविल प्रगति, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल निर्माण कार्य की स्थिति
				निर्माण कार्य शुरू किए जाने हैं।
30	लॉट-VI	सिपत-II (2X500मेगावाट)	बीएचईएल	हाल ही में अवार्ड किया गया और कार्य शुरू किए जाने हैं।
31	पृथक पैकेज	दादरी-II (2x490 मेगावाट)	बीएचईएल	सिविल कार्य पूर्ण, फिनिशिंग कार्य प्रगति पर। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सीएंडआई निर्माण और कमीशनिंग कार्य प्रगति पर हैं।
32	पृथक पैकेज	झज्जर (3x500 मेगावाट)	जीई	सिविल कार्य पूर्ण, फिनिशिंग कार्य प्रगति पर। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सीएंडआई निर्माण और कमीशनिंग कार्य प्रगति पर हैं।
33	पृथक पैकेज	एनकेएसटीपीपी (3x660 मेगावाट)	बीएचईएल	इंजीनियरिंग और व्यवस्थापन प्रगति पर। भू-तकनीकी कार्य पूर्ण। सिविल कार्य प्रगति पर। निर्माण कार्य शुरू किए जाने हैं।
34	मुख्य पैकेज के साथ	बोंगाईगांव (3x250 मेगावाट)	बीएचईएल	सिविल कार्य पूर्णता के अग्रिम चरण में है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल कार्य प्रगति पर है।
35	पृथक पैकेज	खरगोन (2x660 मेगावाट)	एलएंडटी	मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सीएंडआई निर्माण और कमीशनिंग प्रगति पर हैं।
36	पृथक पैकेज	तेलंगाना (2x800 मेगावाट)	जीई	सिविल कार्य, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सीएंडआई निर्माण प्रगति पर।
37	मुख्य पैकेज के साथ	पतरातू (3X800मेगावाट)	बीएचईएल	सिविल कार्य प्रगति पर। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सीएंडआई निर्माण शुरू किए जाने हैं।
38	पृथक पैकेज	टांडा-I यू#1,2 (2x110 मेगावाट)	केसी कॉट्रल	सिविल कार्य पूर्ण। निर्माण कार्य पूर्ण। कमीशनिंग प्रगति पर।

शुरू किया गया कुल एफजीडी: 1,340 मेगावाट

- विंध्याचल यू#13 (1X500 मेगावाट): एजेंसी-जीई, एफजीडी शुरू किया गया।
- दादरी-I यू#1, 2, 3 & 4 (4X210 मेगावाट): एजेंसी- मेलको, शुरू किया गया।

***एजेंसी के नाम:**

- जीई पावर इंडिया लिमिटेड, नोएडा (जीई)
- भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली (बीएचईएल)
- आईएसजीईसी हैवी इंजीनियरिंग लिमिटेड, नोएडा (आईएसजीईसी)
- लारसेन एंड टूब्रो लिमिटेड, वडोदरा (एल एंड टी)
- मित्सुबिशी हिटाची पावर सिस्टम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली (एमपीआई)
- पीईएस इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड इंडिया (पीईएस)
- टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, सिकंदरबाद (टाटा)
- इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड (ईपीआईएल)
- केसी कॉट्रल कोरिया (केसी कॉट्रल)
- मेलको इंडिया (मेलको) इंडिया

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3208

जिसका उत्तर 16 दिसंबर, 2021 को दिया जाना है ।

विद्युत वितरण कंपनियों का लाइसेंस वापस लेना

3208. श्री के. षण्मुग सुंदरम:

श्री पी. वेलुसामी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विद्युत वितरण कंपनियों के लाइसेंस वापस लेने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 में संशोधन करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विद्युत वितरण कंपनियों को सरकार के पास पंजीकृत कराना होता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या निजी कंपनियों के लाइसेंस वापस लेने से उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट लागत पर प्रभाव पड़ेगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) पूरे देश में समान यूनिट लागत क्रियान्वित करेगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या कृषि क्षेत्र को निःशुल्क विद्युत आपूर्ति के लिए राजसहायता प्रभार आवंटित किया जाएगा; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (घ) : राज्य सरकार के स्वामित्व वाली अधिकांश वितरण कंपनियों की स्थिति गंभीर चिंता का विषय है। उनकी एटीएंडसी हानियां वर्ष 2019-20 के अंत में औसतन 21% से अधिकतम 60.16% तक हैं। विनियामक परिसंपत्तियों और उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) के अनुदानों को छोड़कर, औसत आपूर्ति लागत (एसीएस) और औसत राजस्व वसूली (एआरआर) के बीच अंतर वर्ष 2019-20 में औसतन 60 पैसे प्रति

यूनिट था और वर्ष 2019-20 तक देश में सभी डिस्कॉमों की संचयी हानियां बढ़कर 5,07,416 करोड़ रुपये हो गई हैं। डिस्कॉम खरीदी गई विद्युत के लिए उत्पादन कंपनियों को भुगतान करने में सक्षम नहीं हैं और उत्पादन कंपनियों का बकाया भुगतान 1,56,000 करोड़ रुपये से अधिक प्राक्कलित है। नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों की बकाया देय राशियां लगभग 11 माह के राजस्व के बराबर हैं। इसलिए, राज्यों और सभी हितधारकों के साथ विचार-विमर्श के दौरान सुधारों पर चर्चा की गई। अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(इ) : विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार, टैरिफ का निर्धारण राज्य विद्युत विनियामक आयोगों द्वारा किया जाता है। केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) केवल अंतर-राज्यीय परियोजनाओं का टैरिफ निर्धारित करता है। सीईआरसी विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अंतर्गत प्रतिस्पर्धी बोली परियोजनाओं के टैरिफ को अंगीकृत करता है। निकाला गया टैरिफ अलग-अलग बोलियों के लिए अलग-अलग होता है।

(च) और (छ) : विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 65 के प्रावधान के अनुसार, राज्य सरकार उस सीमा तक सब्सिडी देने का अधिकार है जिसे वे उपयुक्त समझें।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3214

जिसका उत्तर 16 दिसंबर, 2021 को दिया जाना है ।

डिस्कॉम द्वारा विद्युत की खरीद

3214. श्री बालूभाऊ उर्फ सुरेश नारायण धानोरकर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राज्यों में विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के लिए अपनी विद्युत आपूर्ति के अनुरूप विद्युत और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा खरीदना अनिवार्य कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त उद्देश्य हेतु प्रशुल्क नीति, 2016 में कोई संशोधन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने हेतु कि राज्य विद्युत बोर्ड की वितरण कंपनियां अनिवार्य रूप से नवीकरणीय ऊर्जा की खरीद करें, कोई विनियामक तंत्र स्थापित किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (च) : केंद्रीय सरकार ने दिनांक 29.01.2021 को दीर्घकालीन नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ) ट्रेजेक्टरी जारी की है। इस आदेश के अनुसार, राज्य आयोग द्वारा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी आरपीओ ट्रेजेक्टरी के अनुरूप अपने संबंधित राज्यों के लिए आरपीओ ट्रेजेक्टरी अधिसूचित की जानी है। प्रत्येक डिस्कॉम से, राज्य आयोग का लाइसेंसी होने के कारण, राज्य आयोगों के आदेशों का अनुपालन करना अपेक्षित है।

सरकार ने टैरिफ नीति, 2016 में कोई संशोधन नहीं किया है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3215

जिसका उत्तर 16 दिसंबर, 2021 को दिया जाना है ।

विद्युत वाहन चार्जिंग स्टेशन

3215. श्रीमती पूनम महाजन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषकर, महाराष्ट्र में विद्युत वाहन चार्जिंग स्टेशनों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या केंद्र सरकार का पूरे देश में सभी पेट्रोल पंपों पर विद्युत वाहन चार्जिंग स्टेशन बनाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो महाराष्ट्र सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है तथा देश में सभी पेट्रोल पर कब तक विद्युत वाहन चार्जिंग स्टेशन होंगे?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) : देश में (महाराष्ट्र सहित) संस्थापित इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों की राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों-वार स्थिति अनुबंध में दी गई है।

(ख) से (घ) : पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) ने, दिनांक 08.11.2019 की राजपत्र अधिसूचना संख्या 355 द्वारा, यह अधिदेश दिया है कि परंपरागत ईंधनों के अलावा, प्राधिकृत इकाईयों से यथा अनुप्रयोज्य, विभिन्न अन्य सांविधिक दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए इकाईयों के अध्यक्षीन देशभर में (महाराष्ट्र सहित) उक्त आउटलेटों के प्रचालन के तीन वर्षों के भीतर अपने प्रस्तावित रिटेल आउटलेटों (आरओ) पर कम्प्रेसड प्राकृतिक गैस (सीएनजी), जैव ईंधन, तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी), विद्युत वाहन चार्जिंग बिंदुओं आदि जैसे कम से कम एक नए उत्पादन वैकल्पिक ईंधनों के विपणन हेतु सुविधाओं की संस्थापना करना अपेक्षित है।

लोक सभा में दिनांक 16.12.2021 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3215 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

देश में (महाराष्ट्र सहित) इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्थापित सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन
1.	आंध्र प्रदेश	4
2.	अरुणाचल प्रदेश	2
3.	असम	7
4.	बिहार	3
5.	चंडीगढ़	6
6.	छत्तीसगढ़	4
7.	दादरा और नगर हवेली	8
8.	दिल्ली	322
9.	गुजरात	27
10.	हरियाणा	55
11.	हिमाचल प्रदेश	7
12.	झारखंड	7
13.	कर्नाटक	58
14.	केरल	57
15.	मध्य प्रदेश	27
16.	महाराष्ट्र	88
17.	मणिपुर	1
18.	मेघालय	1
19.	नागालैंड	2
20.	ओडिशा	2
21.	पुदुचेरी	1
22.	पंजाब	11
23.	राजस्थान	27
24.	सिक्किम	4
25.	तमिलनाडु	94
26.	तेलंगाना	65
27.	त्रिपुरा	2
28.	उत्तर प्रदेश	108
29.	उत्तराखंड	6
30.	पश्चिम बंगाल	22
	कुल	1028

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3218

जिसका उत्तर 16 दिसंबर, 2021 को दिया जाना है ।

विभिन्न सेवाप्रदाता

3218. श्री डी. के. सुरेश:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ऐसा एक विधेयक पेश करने का विचार है जो बिजली उपभोक्ताओं को विभिन्न सेवा-प्रदाताओं में से किसी एक को चुनने की सुविधा प्रदान करेगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त प्रारूप विधेयक को अंतिम रूप देने से पहले हितधारकों से परामर्श किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

(ङ) क्या सरकार को उक्त विधेयक के बारे में किसी एजेंसी या संगठन से कोई टिप्पणी प्राप्त हुई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (च) : राज्य सरकार के स्वामित्व वाली अधिकांश वितरण कंपनियों की स्थिति गंभीर चिंता का विषय है। उनकी एटीएंडसी हानियां वर्ष 2019-20 के अंत में औसतन 21% से अधिकतम 60.16% तक हैं। विनियामक परिसंपत्तियों और उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) के अनुदानों को छोड़कर, औसत आपूर्ति लागत (एसीएस) और औसत राजस्व वसूली (एआरआर) के बीच अंतर वर्ष 2019-20 में औसतन 60 पैसे प्रति यूनिट था और वर्ष 2019-20 तक देश में सभी डिस्कॉमों की संचयी हानियां बढ़कर 5,07,416 करोड़ रुपये हो गई हैं। डिस्कॉम खरीदी गई विद्युत के लिए उत्पादन कंपनियों को भुगतान करने में सक्षम नहीं हैं और उत्पादन कंपनियों का बकाया भुगतान 1,56,000 करोड़ रुपये से अधिक प्राक्कलित है। नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों की बकाया देय राशियां लगभग 11 माह के राजस्व के बराबर हैं। इसलिए, राज्यों और सभी हितधारकों के साथ विचार-विमर्श के दौरान सुधारों पर चर्चा की गई। अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
